राजस्व प्रार्थना पत्र 196/2024
[illegible] नम्बर 2024/392
हडमानलाल उपाध्याय बनाम सरकार

हनुमान लाल उपाध्याय के संबंध में चाही गई है जिस हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार डेह की मौका रिपोर्ट में हडमानलाल के स्थान हनुमान लाल उपाध्याय किये जाने की अभिशंषा के संबंध में उल्लेख किया है जिस कारण प्रार्थी की यह इस्तदुआ स्वीकार योग्य प्रतीत पाई गई है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि हनुमान लाल उपाध्याय एवं हडमानलाल दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम डेह के खाता संख्या के खसरा नम्बर 649/191, 651/392, 653/92 में दर्ज खातेदार नाम हडमानलाल के स्थान पर वास्तविक नाम हनुमान लाल उपाध्याय पुत्र सोहनलाल दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम डेह तहसील डेह की नकल जमाबंदी खाता संख्या 324 में वर्णित खसरान 649/191, 651/392, 653/92 में दर्ज नाम हडमानलाल के स्थान पर हनुमान लाल उपाध्याय पुत्र सोहनलाल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31-01-2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner